भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1066
जिसका उत्तर गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाना

1066 श्री नीरज शेखर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2021 तक अथवा उससे पहले दस वर्ष और उससे अधिक के लिए लम्बित अथवा पांच वर्ष और उससे अधिक के लिए लम्बित मामलों को शून्य करने हेतु उच्चतर न्यायालय के निर्देश का अनुपालन किया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य में किसी न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्देशों का अनुपालन किया है ;

(ग) यदि हॉ, तो तत्संबंधी न्यायालय–वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : वर्ष 2015 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन के अनुसरण में यह संकल्प किया गया था कि सभी उच्च न्यायालय बकाया समिति का गठन करेंगे, तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से लंबन के मुद्दे पर, विशेष रूप से पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों के संबंध में, उनके द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में सरकार को बताने हेतु अनुरोध करते हुए लिखा था । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी 25 उच्च न्यायालयों ने बकाया समितियां स्थापित कर ली हैं । जिला स्तर पर, लंबे समय से लंबित मामलों में कमी करने में हुई प्रगति की मानीटरी करने हेतु जिला न्यायाधीश सभी न्यायिक अधिकारियों से मासिक रूप से बैठक करते हैं ।

उच्च न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों में कमी में हुई प्रगति पर, अप्रैल 2016 में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की हुई बैठक में दोबारा विचार किया गया । विभिन्न उच्च न्यायालयों की बकाया समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के आधार पर, अन्य बातों के साथ-साथ, यह संकल्प किया गया कि (i) सभी उच्च न्यायालय ऐसे मामलों के निपटान हेतु, जो पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं, अति पूर्विकता समनुदेशित करेंगे ; (ii) ऐसे उच्च न्यायालय, जहां पांच वर्ष से अधिक समय से मामले लंबित हैं, मिशन मोड पद्धति में उनका निपटान सुकर करेंगे ; (iii) उच्च न्यायालय, उत्तरोत्तर में उसके पश्चात् चार वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटान का लक्ष्य तय करेंगे ; (iv) पांच वर्ष से अधिक समय से जिला न्यायालय में लंबित मामलों के निपटान की

पूविकता क्रम तय करते समय जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन पर, जहां संभव हो, विचार किया जा सकता है ; और (v) मामला-प्रवाह प्रबंधन नियमों को सुदृढ करने हेतु प्रयास किए जाएंगे । यह और संकल्प किया गया कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति सम्मेलन में पारित संकल्पों के कार्यान्वयन की मानीटरी हेतु एक प्रकोष्ठ/समिति स्थापित करेंगे और प्रत्येक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक तंत्र का सृजन करेगा ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य, दिल्ली उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पांच से दस वर्षों और दस वर्ष तथा अधिक समय से लंबित मामलों से संबंधित आंकड़ा **उपाबंध** पर दिया है ।

****

उपाबंध

'उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाना' के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1066 जिसका उत्तर तारीख 10.02.2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र			
न्यायालय का नाम		**5 से 10 वर्षों से लंबित मामले**	**10 वर्ष और उससे अधिक समय से लंबित मामले**
दिल्ली उच्च न्यायालय		**19895**	**13263**
क्र.सं.	**जिला और अधीनस्थ न्यायालय**		
1.	केंद्रीय	25203	3345
2.	पूर्व	8761	847
3.	नई दिल्ली	19591	1483
4.	उत्तर	11774	1298
5.	पूर्वोत्तर	4503	1028
6.	उत्तर पश्चिम	16653	1879
7.	शाहदरा	9447	507
8.	दक्षिण	7409	564
9.	दक्षिण पूर्व	14168	313
10.	दक्षिण पश्चिम	8815	677
11.	पश्चिम	14911	1630
	कुल	**141235**	**13571**

उत्तर प्रदेश			
न्यायालय का नाम		**5 से 10 वर्षों से लंबित मामले**	**10 वर्ष और अधिक समय से लंबित मामले**
इलाहाबाद उच्च न्यायालय		**184014**	**322350**
क्र.सं.	**जिला और अधीनस्थ न्यायालय**		
1	आगरा	56571	26199
2	अलीगढ़	52451	15803
3	इलाहाबाद	85126	86755
4	अम्बेडकर नगर	16472	11044
5	औरैया	15294	11357
6	आजमगढ़	37915	30382
7	बागपत	8598	5983
8	बहराइच	21580	24126
9	बलिया	32843	25933
10	बलरामपुर	13246	12066
1 1	बाँदा	11119	10246
12	बाराबंकी	24232	19686
13	बरेली	33365	28345
14	बस्ती	23243	26989
15	भदोही एसआर नगर	10202	9356
16	बिजनौर	23029	21224
17	बदायूं	23835	18752
18	बुलंदशहर	43373	20360
19	चंदौली	15301	19293
20	चित्रकूट	4801	1438
21	देवरिया	40550	40345
22	एटा	14001	5598
23	इटावा	15048	10610
24	फैजाबाद	30933	23454

25	फर्रुखाबाद	21789	17303
26	फतेहपुर	25072	18367
27	फिरोजाबाद	45921	17967
28	गौतमबुद्ध नगर	42419	24129
29	गाज़ियाबाद	48340	36853
30	गाजीपुर	36206	27605
31	गोंडा	31387	35404
32	गोरखपुर	62556	53469
33	हमीरपुर	10239	10522
34	हापुड़	14309	14712
35	हरदोई	32400	22227
36	हाथरस	14864	11402
37	जालौन	13183	12981
38	जौनपुर	44049	55475
39	झांसी	24179	15196
40	ज्योतिबा फुले नगर	12021	2895
41	कन्नौज	11121	9123
42	कानपुर देहात	24401	17969
43	कानपुर नगर	111047	47766
44	कांशीराम नगर	11578	3204
45	कौशाम्बी	15178	12235
46	कुशीनगर	36063	47340
47	लखीमपुर	28552	20383
48	ललितपुर	12677	8235
49	लखनऊ	110702	51092
50	महाराजगंज	22674	19666
51	महोबा	4579	2150
52	मैनपुरी	22733	9693
53	मथुरा	20543	13507
54	मऊ	23466	23012
55	मेरठ	37370	21384
56	मिर्जापुर	17068	19704
57	मुरादाबाद	25572	18505
58	मुजफ्फरनगर	36334	30831
59	पीलीभीत	17503	13012
60	प्रतापगढ़	31924	34035
61	रायबरेली	36984	23243
62	रामपुर	12616	8659
63	सहारनपुर	30223	27742
64	चंदौसी में संभल	12088	6544
65	संतकबीर नगर	17393	6870
66	शाहजहांपुर	21897	14263
67	शामली	3274	2902
68	श्रावस्ती	7285	4017
69	सिद्धार्थनगर	21390	22663
70	सीतापुर	40216	41672
71	सोनभद्र	15112	13188
72	सुल्तानपुर	56580	48921
73	उन्नाव	19989	19072
74	वाराणसी	68826	16286
	कुल	**2117020**	**1560739**

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****